कार्यालयः प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज

चक्रपानपुर, आजमगढ़, उ0प्र0-276128

फोन नं.- 05463-235020, ई-मेल- gmcazamgarh@gmail.com, वेबसाइट- www.gmcazamgarh.com

पत्रांक- /रा0मे0का0आ0/कैम्प/संविदा विज्ञप्ति/2025, दिनांक- 19/11/2025

सेवायोजन विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14 जून, 2024 व पत्र संख्या-1/868657/2025/71-1005(001)/20/2021 पार्ट-1 दिनांक 03.02.2025 एवं पत्र संख्या-1/889183/2025/71-1005(001)/20/2021 पार्ट-1 दिनांक 24.02.2025 के अनुपालन में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में संचालित कालेज आफ नर्सिंग में निम्नलिखित नर्सिंग संवर्ग के शैक्षणिक रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे/नियुक्ति किये जाने हेतु साक्षात्कार (वाक-इन-इन्टरव्यू) उपरांत चयन की कार्यवाही की जानी है। चयन हेतु साक्षात्कार की कार्यवाही दिनांक **18/12/2025 (गुरूवार) को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे के मध्य प्रधानाचार्य कार्यालय (प्रशासनिक भवन), राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़,** में सम्पन्न की जानी है। पदों का संदर्भित विवरण निम्नवत् हैः-

रिक्त पदों का विवरण

College of Nursing, Government Medical College, Azamgarh	**Principal cum Professor**				**Vice Principal cum Professor**			
	UR	OBC	SC	EWS	UR	EWS	UR	OBC
	01	-	-	-	01	-	-	-

उक्त रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर चयन की प्रक्रिया चयन समिति की संस्तुति के आधार पर पूर्ण की जायेगी। रिक्त पदों पर समय-समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन किया गया है।

उक्त पदों की शैक्षणिक अर्हता/अनुभव

S.No	Post Name	Qualification & Experience
1	Principal cum Professor	**Essential Qualification:** M.Sc. (Nursing) **Experience:** M.Sc. (Nursing) having total 15 years' experience with M.Sc. (Nursing) out of which 10 years after M.Sc. (Nursing) in collegiate program. Ph.D. (Nursing) is desirable
2	Vice Principal cum Professor	**Essential Qualification:** M.Sc. (Nursing) **Experience:** M.Sc. (Nursing) Total 12 years 'experience with M.Sc. (Nursing) out of which 10 years teaching experience after M.Sc. (Nursing) Ph.D. (Nursing) is desirable

आवेदन शुल्क- अभ्यर्थियों को रु 2000/- आवेदन शुल्क डी०डी० के रूप में जमा करना होगा, जो **प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़** के नाम से देय होगा एवं अन्य किसी माध्यम से जमा किया गया शुल्क मान्य नही होगा। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को पृथक-पृथक आवेदन प्रपत्र भरना होगा और आवेदन शुल्क देना होगा।

19/11/25

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत है:-

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षकों को शासनादेश सं0-57/2022/1/156557/2022/71-1005(001)/20/2021 दिनांक 15 अप्रैल, 2022 में निर्धारित शर्तें एवं प्रतिबंध लागू होगें।
2. वेतन के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं प्रेशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
3. नर्सिंग शिक्षकगण स्थानांतरित नहीं किए जायेंगे।
4. संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकगण यथा प्रिसिपल कम प्रोफेसर को रू0-1,40,000.00 एवं वाईस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर को रू0-1,20,000.00 का नियत मानदेय प्रतिमाह प्रदान किया जायेग।
5. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षकों को वही मानदेय प्रदान किया जाएगा जो शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।
6. नर्सिंग शिक्षकों की कार्य दिवस में 08 घण्टे की ड्यूटी होगी, किसी भी कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर उस दिवस के वेतन की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।
7. संविदा कार्मिकों को आकस्मिक अवकाश/चिकित्सा अवकाश वर्ष में अधिकतम 14 तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात देय होगा।
8. महिला संविदा कर्मियों को मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट 1961 के तहत 180 दिन का अवकाश सवेतन अनुमन्य होगा।
9. यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
10. नर्सिंग शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 02 वर्ष का होगा। सेवा संतोषजनक होने और आवश्यकता होने पर कार्य एवं आचरण संबंधित कोई प्रतिकूल तथ्य न हो, जो इनका कार्यकाल बढ़ाये जाने में बाधक हो एवं संबंधित से प्रमाण-पत्र प्राप्त करते हुए कि इनके विरुद्ध मा० न्यायालय में कोई अपराधिक वाद नही है के आधार पर कार्यकाल सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत 01 वर्ष हेतु बढाया जा सकेगा।
11. सेवा संतोष जनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर सेवाएं समाप्त की जा सकती है।
12. संविदा छोड़ने की स्थिति में कर्मी को एक माह पूर्व नोटिस या नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
13. संविदा कर्मी की सेवाएं सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर Last Come First Go के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी।

19/11/25

14. साक्षात्कार के समय समस्त वांछित मूल अभिलेख तथा उनकी एक स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं 02 नवीन फोटो अवश्य लाये।

15. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

16. सरकार/आई0एन0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का ही शैक्षणिक अनुभव मान्य होगा।

17. संविदा पर चयनित नर्सिंग शिक्षक भविष्य में विनियमितीकरण/स्थायीकरण के लिए हकदार नहीं होगें।

18. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेगे कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्या पाया जाता है तो उनकी सेवाये तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगीं।

19. अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से संबंधित पद हेतु अपने शैक्षणिक योग्यता/अन्य प्रमाण-पत्रों को वाक-इन-इन्टरव्यू से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में जमा करा दें।

प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कालेज
आजमगढ़।

पत्रांक- 1005/रा0मे0का0आ0/कैम्प/संविदा विज्ञप्ति/2025, तद्दिनांक..............।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।
03. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
04. उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
05. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय एवं स्वशासी मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
06. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
07. प्रधानाचार्या, कालेज ऑफ नर्सिंग, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
08. नोडल अधिकारी वेबसाइट, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
09. समस्त सूचना-पट्ट, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
10. संबंधित पत्रावली।

19/11/25
प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कालेज
आजमगढ़।